(34)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 351–तीन/2008 – विरूद्ध आदेश दिनांक 20–3–2008 – पारित द्वारा – अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा – प्रकरण क्रमांक 91/2007–08 निगरानी

1– रामकिशोर पुत्र शामिल भुर्तिया
2– हीरालाल 3– मोहितलाल 4– बॉकेलाल
5– अरूणकुमार पुत्रगण रामकिशोर भुर्तिया
ग्राम हाटा तहसील हनुमना जिला रीवा ---आवेदकगण

विरूद्ध

1– महिला सुन्दरी पत्नि स्व. भगवत
2– विजयबहादुर पुत्र स्व. भगवत
ग्राम हाटा तहसील हनुमना जिला रीवा ----अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव)
(अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित – एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 5– 10–2017 को पारित)

अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 91/07–08 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 20–3–08 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि तहसीलदार हनुमना ने ग्राम की नामान्तरण पॅजी के सरल क्रमांक 10 पर आदेश दिनांक 2–3–2007 से उभय पक्ष के बीच बटवारा करते हुये भूमि के बटांक कायम करके नक्शा तरमीम करने के आदेश दिये । इस आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर रीवा के

समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। अपर कलेक्टर रीवा ने प्रकरण क्रमांक 425/2006-07 अ-74 निगरानी में पारित आदेश दिनॉक 20.3.2008 से निगरानी निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण क्रमांक 91/07-08 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 20-3-08 से तहसीलदार हनुमना का नामान्तरण पॅजी के सरल क्रमांक 10 पर दिया गया आदेश दिनांक 2-3-2007 एंव अपर कलेक्टर रीवा का प्रकरण क्रमांक 425/2006-07 अ-74 निगरानी में पारित आदेश दिनॉक 20.3.2008 निरस्त कर दिया तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि उभय पक्षों को सुनवाई का अवसर दिया जाय तथा मौके की स्थिति का भौतिक सत्यापन हेतु स्वयं् स्थल निरीक्षण किया जाय, तदुपरांत नक्शा तरमीम का आदेश पारित किया जाय। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के इसी आदेश से दुखी होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि तहसीलदार ने विधिवत् कार्यवाही करके बटवारा करने एंव नक्शा तरमीम कराये जाने के आदेश दिये हैं जिनमें किसी प्रकार की कमवेशी नहीं थी जिसके कारण अपर कलेक्टर रीवा ने प्रकरण क्रमांक 425/2006-07 अ-74 निगरानी में पारित आदेश दिनॉक 20.3.08 से तहसीलदार की कार्यवाही को उचित माना है परन्तु अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण क्रमांक 91/07-08 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 20-3-08 से नक्शा तरमीम निरस्त करने के साथ साथ बटवारा आदेश भी गलत ढंग से निरस्त किया है इसलिये निगरानी स्वीकार की जाकर अपर कलेक्टर के आदेश को एंव तहसीलदार के आदेश दिनांक 2-3-07 को यथावत् रखा जावे।

5/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव तहसीलदार हनुमना व्दारा ग्राम की नामान्तरण पॅजी के सरल क्रमांक 10 पर आदेश दिनांक 2-3-2007 से किये गये बटवारा एंव नक्शा तरमीम वावत् दिये गये आदेश के अवलोकन से परिलक्षित है कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा

178 में दिये गये बटवारा नियमों के अनुसार ग्राम की नामान्तरण पंजी पर बटवारा आदेश नहीं दिया जा सकता है बटवारे के लिये तहसील न्यायालय में प्रथक से आवेदन करना होगा एंव बटवारे हेतु नियत की गई शुल्क भी शासन हित में चुकाना होगी। जहाँ तक बटवारा पॅजी पर नक्शा तरमीम के दिये गये आदेश का प्रश्न है ? तहसीलदार का आदेश दिनांक 2-3-07 इस प्रकार है :- **"अतः फर्द बटवारा में संलग्न बटवारा प्रमाणित किया जाता है। प्रस्तावित तरमीम प्रस्ताव के अनुसार पटवारी हलका लालस्याही से नक्शे में तर्मीम करे।"** यदि तहसीलदार हनुमना की कार्यवाही को विधि अनुरूप परखा जावे - तहसीलदार ने नामान्तरण पॅजी पर बटवारा किया है एंव नक्शा तरमीम का भी आदेश दिया है.। बटवारा आदेश संहिता की धारा 178 के अंतर्गत है एंव नक्शा तरमीम आदेश संहिता की धारा 68 सहपठित 70 के अंतर्गत है और दोनों ही कार्यवाहियों वावत् पारित आदेश अपील योग्य है परन्तु अपील योग्य आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर रीवा ने निगरानी प्रकरण कमांक 425/2006-07 अ-74 पॅजीबद्ध करके सुनवाई करते हुये आदेश दिनॉक 20.3.08 पारित किया है जो न्याय प्रकिया पर आधारित नहीं है जिसके कारण ऐसे त्रृटिपूर्ण आदेश को अपर आयुक्त रीवा संभाग ने ठीक ही निरस्त किया है। जहाँ तक तहसीलदार के नामान्तरण पॅजी के सरल कमांक 10 पर दिये गये बटवारा आदेश एंव नक्शा तरमीम आदेश का प्रश्न है तहसीलदार द्वारा नामान्तरण पॅजी पर उक्त धाराओं के अंतर्गत की गई एकागी कार्यवाही भी दूषित प्रकिया पर आधारित होने से अपर आयुक्त रीवा संभाग ने निरस्त की है जिसके कारण अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 20-3-08 हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 91/07-08 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 20-3-08 उचित होने से यथावत् रखते हुये निगरानी अस्वीकार की जाती है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर